न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निग/टीए/3304/2004/हनुमानगढ

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) टीबी जिला हनुमानगढ
प्रार्थी

बनाम

1 रामस्वरूप पुत्र लाधूराम (फौत) जरिये वारिसान
1/1 विनोद कुमार उर्फ रामकुमार पुत्र रामस्वरूप
1/2 सतपाल पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी शेरेका तहसील टीबी जिला हनुमानगढ
1/3 राजबाला पुत्री रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी पन्नीवाली माहला पंजाब

अप्रार्थी

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री शोकिन्दलाल गुर्जर उप राजकीय अभिभाषक
श्री शम्भूसिंह मीणा वकील एवं
श्री प्रशान्त सोनी वकील अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3
श्री अमृतपालसिंह वकील बनने पक्षकार।

निर्णय

दिनांकः..25.10.19

यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 17/2002 में पारित निर्णय दिनांक 24.2.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के आदेश दिनांक 18.5.2002 में अंकित अनुसार असेसी लाधूराम पुत्र सदासुख एवं उसके पांच पुत्र रामस्वरूप, लखपत, शिवराज, भूपसिंह व काशीराम के विरूद्ध पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 8.11.74 से लाधूराम की 121 बीघा, भूपसिंह की 165.16 बीघा, रामस्वरूप की 131 बीघा, लखपत की 26 बीघा, दयानन्द की 26 बीघा, शिवराज की 26 बीघा, रामेश्वर की 26 बीघा कुल 521.16 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानकर अधिग्रहित करने का आदेश दिया गया था। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, राजस्व मण्डल एवं

माननीय उच्च न्यायालय तक विभिन्न चाराजोही की कार्यवाही हुई। उक्त निर्णय दिनांक 8.11.74 के क्रम में उपरोक्तानुसार चाराजोही उपरांत अधिग्रहित भूमि में से लाधूराम की 121 बीघा, भूपसिंह की 165.16 बीघा, रामस्वरूप की 4.06 बीघा कुल 291 बीघा भूमि का आवंटन किये जाने का आदेश उपखण्ड अधिकारी, संगरिया ने दिनांक 18.5.2002 को दिया। इसके विरूद्व रामस्वरूप पुत्र लाधूराम ने राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ ने निर्णय दिनांक 24.2.2003 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. उतराजरत पुत्र भूपसिंह, अमरजीत पुत्र भूपसिंह जाति बिश्नोई निवासी शेरेका तहसील टिब्बी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। जिस पर दोनों पक्षो को सुना गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात संयुक्त परिवार की अविभाजित पैतृक आराजीयात हैं जिसमें प्रार्थीगण का भी हक व हिस्सा हैं। प्राधिकृत अधिकारी ने भी विवादित आराजीयात जददी जायजाद मानी हैं। जददी जायजाद का आवंटन नहीं किया जा सकता। अधिग्रहित भूमि शामलाती है जिसका आवंटन किये जाने से प्रार्थीगण के हित प्रभावित होते हैं। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने इसका विरोध किया एवं कथन किया कि यदि ये आदेश दिनांक 18.5.2002 से व्यथित थे तो उसे अलग से चुनौति देते तथा वर्तमान निगरानी केवल रामस्वरूप की अपील में दिए आदेश तक सीमित है। दिनांक 18.5.2002 के आदेश के प्रकरण में भूपसिंह का उल्लेख होने से उसके वारिस वहां कथन कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थीगण को इस स्टेज पर पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण घोषणा एवं विभाजन का नहीं होकर सीलिंग कार्यवाही का प्रकरण होने से तथा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को प्रति प्रेषित करने से एवं उपखण्ड अधिकारी के यहां भी तहसीलदार की रिपोर्ट तलब की हुई होने से इस स्तर पर इस निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है।

4. हमने दोनों पक्षो की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का अवलोकन किया। प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के आदेश दिनांक 18.5.2002 के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में रामस्वरूप द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है जो आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रति प्रेषित किया है। इसके विरूद्व यह निगरानी राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय में अपीलार्थी के

धारण की भूमि को अपीलार्थी के शपथ पत्र के अनुसार बेदखल नहीं किये जाने का आदेश देते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रार्थीगण को इस निगरानी के स्तर पर प्रकरण में (इस निगरानी में) पक्षकार बनाया जाना हम न्यायोचित नहीं मानते हैं। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। पक्षकार नहीं बनाने के इस आदेश का प्रभाव केवल इस निगरानी तक सीमित है।

5. निगरानी के गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी, संगरिया का आदेश दिनांक 18.5.2002 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत अपील मेन्टेनेबिल नहीं हैं। उपखण्ड अधिकारी का आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं दिया गया है। रामस्वरूप से अधिग्रहित 4.06 बीघा भूमि का आवंटन किये जाने का आदेश नहीं दिया गया है जो विकल्प में अंकित होना अप्रार्थी के अनुसार है। शेष भूमि के बारे में कथन नहीं कर सकते हैं। जिससे आलौच्य आदेश दिनांक 18.5.02 से रामस्वरूप वर्तमान अप्रार्थी को प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता एवं उसकी अपील संधारण योग्य नहीं है। लाधूराम व उसके पुत्रों पर धारित भूमि के संबंध में सीलिंग प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण हो चुका है तथा प्रत्येक को 190 बीघा भूमि रखने का अधिकारी मानते हुए उनके धारण में 190 बीघा से अधिक भूमि के अधिग्रहण का आदेश दिया गया है एवं अधिग्रहित अधिशेष भूमि का नियमानुसार आवंटन किया जाना आवश्यक है जिससे आवंटन किये जाने का आदेश दिया गया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण को अनावश्यक रूप से प्रतिप्रेषित किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात संयुक्त परिवार की अविभाजित पैतृक आराजीयात रही हैं जिसमें लाधूराम के सभी वारिसान का बराबर का हक व हिस्सा रहा है। सीलिंग कार्यवाही में लाधूराम व उसके पुत्रों की धारण योग्य व सरप्लस भूमि का क्षेत्रफल सहित अलग अलग रकबे के अंकन सहित आदेश है। प्राधिकृत अधिकारी ने लादूराम के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 8.11.74 से कुल 521 बीघा 16 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिया। इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी ने कानून विरूद्ध 972 बीघा भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिया जो राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 1.11.91 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। परन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय की आड में भूमि निर्धारित सीमा से अधिक अर्थात 521 बीघा के स्थान पर 972 बीघा भूमि आराजी राज दर्ज कर दी गई। जिसके विरूद्ध धारा 144 सी.पी.सी. की कार्यवाही जैरकार है। रामस्वरूप ने

4.06 बीघा भूमि ओपशन में दी है। परन्तु राज्य पक्ष द्वारा इसके अलावा चक 14 के.एस.डी. एवं तहसीलदार हनुमानगढ के चक 2 एच.एम.एच. की कुल 91 बीघा भूमि का आवंटन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधीनस्थ न्यायलय का आदेश दिनांक 18.5.02 अप्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। जिसके अनुसार कुल 291 बीघा भूमि का आवंटन का आदेश दिया गया है जो गलत है। इस आदेश के द्वारा अप्रार्थी की अन्य आराजी भी आवंटन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। लादूराम की 121 बीघा का आवंटन का आदेश दिया है जबकि इसमें से 69 बीघा जी.डी.सी. नहर में तथा 14 बीघा भूमि तहसील संगरिया में के.एस.डी. नहर में अधिग्रहित हो चुकी है एवं 50 बीघा भूमि तहसील संगरिया में भूमिहीनों को आवंटित की जा चुकी है। इसके बावजूद भी 121 बीघा ओर अधिग्रहित की हुई मानकर आवंटन किया जाने का आदेश दिया गया है जो अनुचित एवं निराधार है। लादूराम व उसके पांचों पुत्र प्रत्येक को 190 बीधा भूमि धारण करने का अधिकारी न्यायालयों द्वारा माना गया है व उससे अधिक अधिशेष भूमि को अधिग्रहित करने का आदेश दिया है परन्तु अप्रार्थी रामस्वरूप के धारण में मात्र 194.14 बीघा भूमि है जिसे वह रखने का अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में हमारे कब्जे काश्त की सीलिंग सीमा तक की भूमि का आवंटन करना उचित नहीं है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने इन्हीं आधारों पर दोनों पक्षो को सुनकर निर्णय करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

7. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री लाधूराम के नाम दर्ज भूमि की सीलिंग प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही में विभिन्न स्तर पर कार्यवाही चल कर लाधूराम एवं उसके पुत्रों के संदर्भ में सीलिंग सीमा तक भू धारण रखने एवं सीलिंग सीमा से अधिक की भूमि को अधिग्रहित करने का प्रत्येक के संदर्भ में अलग अलग क्षेत्रफल (रकबे) सहित आदेश हुआ था तथा निगरानी अधीन निर्णय अनुसार काशीराम के हिस्से की भूमि अधिग्रहण नहीं करने का आदेश हुआ। वर्तमान निगराकार का कथन है कि उसने राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उसके धारण में 194.14 बीघा भूमि है तथा उसके द्वारा दिया गया विकल्प स्वीकार हो चुका है किन्तु इसके उपरांत भी उसके कब्जे काश्त की 194.14 बीघा भूमि में से 91 बीधा भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। जबकि वह 195 बीघा से अधिक भूमि धारण करने का पात्र है। इस पर राजस्व अपील प्राधिकारी ने शपथ पत्र में अंकित 194.14 बीघा भूमि से बेदखल नहीं करने तथा इसके अतिरिक्त कोई भूमि

अपीलार्थी के धारण में है तो उससे बेदखल करने का आदेश दिया है। साथ ही प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। निगराकार प्रथम अपीलीय न्यायालय के प्रत्यर्थी का ऐसा सप्रमाण कथन नहीं रहा है कि अप्रार्थी 194.14 बीघा भूमि धारण नहीं कर सकता है एवं अप्रार्थी ने विकल्प नहीं दिया था। वर्तमान अप्रार्थी प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपीलार्थी रामस्वरूप के अनुसार लादूराम की आराजीयात में से 69 बीघा जी.डी.सी. नहर एवं 14 बीघा भूमि के.एस.डी. नहर हेतु अधिग्रहित की जा चुकी है तथा 50 बीघा अधिग्रहित भूमि का आवंटन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस तथ्य की जांच की जाना आवश्यक है कि लादूराम से उक्त भूमि अधिग्रहित की गई है या नहीं तथा ओर कितनी भूमि अधिग्रहित की जाना शेष है।

9. लाधूराम के एक पुत्र वर्तमान अप्रार्थी रामस्वरूप के पास उनके शपथ पत्र के अनुसार केवल 194.14 बीघा भूमि ही उसके धारण में है जबकि उसके हिस्से में 195.14 बीघा भूमि आती है। रामस्वरूप से 4.06 बीघा भूमि अधिग्रहित की जानी है, का आपशन दिया जा चुका है एवं वह स्वीकृत भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में स्थिति स्पष्ट किए बिना/ बिना रामस्वरूप को सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। वकील अप्रार्थी का यह भी तर्क रहा है कि प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय दिनांक 8.11.74 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर को प्रस्तुत अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी ने गलत रूप से कुल 972 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानकर अधिग्रहित किये जाने का आदेश दिया जो राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 1.11.91 से निरस्त कर दिया गया परन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय की आड में 972 बीधा भूमि आराजी राज दर्ज कर दी गई। जिसकी धारा 144 सी.पी.सी. की कार्यवाही विचाराधीन है। जिससे इसकी भी जांच की जाना अपेक्षित रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने 195.14 बीघा भूमि से अपीलार्थी वर्तमान अप्रार्थी को बेदखल नहीं करने तथा इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के धारण में उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि है तो उससे बेदखल करने हेतु स्वतंत्र होने के निर्देश के साथ प्रकरण को प्रति प्रेषित किये जाने में किसी प्रकार की निगरानी द्वरा हस्तक्षेप अपेक्षित करने वाली अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की है। उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रतिप्रेषित उपरांत कार्यवाही होनी है। ऐसी स्थिति में इस निगरानी के द्वारा हस्तक्षेप करने के पर्याप्त आधार उपरोक्त विवेचन अनुसार नहीं होने से इस निगरानी को खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

10. जहां तक धारा 225 अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी को अपील सुनने का बिन्दु हैं, इस संबंध में राजस्व अपील प्राधिकारी ने सुनकर विवेचन किया है। यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में मूल रूप से पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत

कार्यवाही की गई है तथा उसी कार्यवाही में अधिशेष भूमि के आवंटन का आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिया गया है। ऐसे आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील का प्रावधान हैं। ऐसी स्थिति में उप राजकीय अभिभाषक की यह आपति कि अपील संधारण योग्य नहीं थी, खारिज की जाती है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 24.2.2003 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य